कार्यालय जोधपुर विकास प्राधिकरण, जोधपुर

रेल्वे अस्पताल के सामने, रातानाडा, जोधपुर–342001
jdajodhpur.rajasthan.gov.in वेब साईट http://email.-jdajodhpur@rajasthan.gov.in phone no- 0291.2612086,0291.2656355 फोन 0291–261537

क्रमांकः– F 481 दिनांकः– 18/07/2019

PROCUREMENT UNDER SINGLE SOURCE

विषयः– प्राधिकरण के लेखा का दोहरा प्रणाणी से संचालन,बैंक रिकसिलेशन संबंधी कार्य / रिटर्न, जीएसटी व अन्य आयकर संबंधी कार्य हेतु दरे प्रस्तुत करने बाबत्।

प्राधिकरण के वर्ष 2019–20 लेखो का दोहरा लेखा प्रणाली से संचालन, बैंक रिकन्साईलेशन टी.डी.एस संबंधी कार्य 24 –26 त्रैमासिक / वार्षिक विवरणी तैयार करना,16 व 16ए तैयार करना,टीडीएस मिस मैचिंग(पूर्व वर्षो के),आयकर विभाग से प्राप्त नोटिसो का समुचित समाधान निकालना प्राधिकरण का वार्षिक रिर्टन दाखिल करना जीएसटी की गणना व चालान से जमा कराकर मासिक, क्वाटरली, वार्षिक रिटर्न फाइनिंग का कार्य, जीएसटी संबंधी समस्त कार्य जिसमें गणना व चालान से राशि मासिक जमा का कार्य तथा सर्टिफिकेट जारी करना इत्यादि प्राधिकरण के आयकर संबंधी वाद / अपील मे प्राधिकरण के मुख्य सनदी लेखाकार फर्म मैसर्स बी.एम. कोठारी एण्ड संस से जवाबदाता तैयार करने में सहयोग व कोर्डिनेशन करना, प्राधिकरण के लेखा का लेखाकन टेली के नवीनतम वर्जन से करवाया जाना, साथ ही प्राधिकरण के लेखो का उचित संधारण करने संबंधी एंव अन्य लेखा / करो संबंधी कार्य हेतु अंशकालीन सनदी लेखाकार की सेवाओ की (अनुबंध आधारित) प्राधिकरण को आवश्यकता है जिस हेतु पूर्ण प्रस्ताव मय चार्जेबल शुल्क के निर्धरित दिनांक तक संलग्न कार्य सुची के अनुसार प्रस्तुत करे ताकि प्रस्ताव पर विचार करके अग्रिम कार्यवाही की जा सके।

शर्ते :–

1. प्राधिकरण कार्य दिवस के अपने अधीनस्थ कर्मचारी को कार्यालय में बैठाया जाना अनिवार्य होगा
2. प्राधीकरण के लेखो / पत्रावली / वाउचर / पत्र / रजिस्टर।को प्राधिकरण के बाहर बिना आज्ञा के ले जाना पुर्णतया वर्जित रहेगा।
3. बैठने हेतु कक्ष / कम्पयूटर / स्टेशनरी इत्यादि प्राधिकरण द्वारा उपलब्ध करवाया जायेगा।
4. प्राधिकरण के लेखो की गोपनीयता / निजता का पूर्ण ध्यान रखना होगा।
5. प्रारम्भिक स्तर पर अनुबंध एक वर्ष के लिए होगा जिसे नियमानुसार बढाया जा सकेगा।
6. कार्य सुची संलग्न है।
7. प्रस्ताव दिनांक 22/07/19 दोपहर 3.00 PM तक प्रस्तुत करें।

सलंग्न :– कार्य सूची

निदेशक (वित्त)
जोधपुर विकास प्राधिकरण,
जोधपुर

क्रमांकः–
दिनांकः– ....

प्रतिलिपि निम्न को सूचनार्थ प्रेषित है :–

1. मैसर्स बी एल मालवीय एण्ड कम्पनी, चार्टेड एकाउन्टेड, 109 ग्राउण्ड फ्लोर हिमदेव भवीन, सरदारपुरा, प्रथम बी रोड कुम्हारो का मंदिर, जोधपुर।
2. एनालिस्ट कम प्रोग्रामर, जोधपुर विकास प्राधिकरण, जोधपुर को प्रेषित कर निर्देशित किया जाता है

निदेशक (वित्त)
जोधपुर विकास प्राधिकरण,
जोधपुर

जोधपुर विकास प्राधिकरण, जोधपुर

रेलवे अस्पताल के सामने, रातानाडा, जोधपुर -- 342001
email- jdanic-jod-rj@nic.in osc&lkbZV jodhpurjda.org Phone No.0291-2612086/265635-7 Fax 0291-2612086

No./Acc/2019-20/

Dated: ....

:: कार्य सूची ::

कार्य का नामः– अंशकालीन सनदी लेखाकार (CA) अनुंबध आधारित सेवाएं

क्र.सं	कार्य का नाम	मासिक / त्रैमासिक / वार्षिक	दर (निविदा दाता द्वारा प्रस्तुत की जानी हैं।)
01.	दोहरा लेखा प्रणाली द्वारा वितीय वर्ष 2019-20 के लेखो का संधारण दोहरा लेखा प्रणाली द्वारा एक्रुरल आधारित करके तलपट, तुलनात्मक पत्र (बैलेंस शीट), आय-व्यय खाता, खाता बही, रोकड़ बुक, डे-बुक, बैंक बुक, केशफ्लो स्टेटमेंट, फण्डफ्लो स्टेटमेंट, रेसियो एनालिसिस इत्यादि।	मासिक	
02.	बैंक रिकोंसिलेसन स्टेटमेंट्स वितीय वर्ष 2019-20	मासिक	
03.	आयकर विभाग में त्रेमासिक / वार्षिक टी.डी.एस. रिटर्न 24Q का ओन लाइन फाइलिंग कार्य (अनुमानित कर्मचारी 250)	त्रैमासिक / वार्षिक	
04.	कर्मचारीयो का वार्षिक आय प्रमाण पत्र फॉर्म 16 (A+B) जारी करने का कार्य, जो की आयकर विभाग द्वारा प्रमाणित (TRACES) के अन्तर्गत होना चाहिए (अनुमानित कर्मचारी 250)	वार्षिक	
05.	आयकर विभाग में त्रेमासिक टी.डी.एस. रिटर्न 26Q का ओन लाइन फाइलिंग कार्य (अनुमानित गैर कर्मचारी 150)	त्रैमासिक	
06.	गेर कर्मचारीयो (ठेकेदारों) का त्रेमासिक TDS प्रमाण पत्र फॉर्म 16A जारी करने का कार्य, जो की आयकर विभाग द्वारा प्रमाणित (TRACES) के अन्तर्गत होना चाहिए (अनुमानित गैर कर्मचारी 150)	त्रैमासिक	
07.	(A)वस्तु एवं सेवा कर (GST) के अन्तरगत (PAN) माहवारी कर का आंकलन, चालान बना कर ऑनलाइन कर का भुगतान करने का कार्य	मासिक	
	(B)वस्तु एवं सेवा कर (GST) के अन्तर्गत (TAN) माहवारी कर का आंकलन, चालान बनाकर ऑनलाइन कर का भुगातन करने का कार्य	मासिक	
08.	वस्तु एवं सेवा कर (GST) के अन्तर्गत PAN आधारित माहवारी रिटर्न सरकार द्वारा प्रस्तावित रिटर्न GSTR-1, GSTR-1A, GSTR-2, GSTR-2A, GSTR-3 और वार्षिक रिटर्न बनाकर ऑनलाइन जमा करवाने का कार्य	मासिक	
09.	वस्तु एवं सेवा कर (GST) के अन्तर्गत TAN आधारित माहवारी रिटर्न सरकार द्वारा प्रस्तावित रिटर्न GSTR-7, और वार्षिक रिर्टन बनाकर ऑनलाइन जमा करवाने का कार्य	मासिक	

10.	वस्तु एवं सेवा कर (GST) के अन्तर्गत (TAN) स्रोतों पर काटे गए कर का मासिक प्रमाण पत्र बनाकर जारी करवाने का कार्य (अनुमानित गैर कर्मचारी 100)	मासिक	
11.	JDA के वैधानिक लेखा परीक्षक ऑडिटर के साथ समन्वय और सहायक के तोर पर ऑडिट करवाना और विभिन्न न्यायलय, ट्रिब्यूनल में विभिन्न लंबित आयकर के मामलो विभिन्न कर सलाहकारो को मदद करने का कार्य	मासिक	
	योग		

शर्ते:-

1. उक्त सेवाएं कार्यादेश जारी होने से प्रभावी होगा जिसे नियमानुसार बढाया जा सकेगा।
2. संपादित कार्य के लिये ही स्वीकृत दरो के अनुरूप भुगतान किया जायेगा
3. कार्य संतोषजनक रूप से पूर्ण करने पर ही कार्य की भुगतान बिल पस्तुत करने के पश्चात यथाशीध्र कर दिया जायेगा
4. कार्य के लिये प्रयुक्त कार्यालय अभिलेख पूर्वानुमति के बिना अभिरक्षा में रखने, कार्यालय के बाहर ले जाने तथा उसकी छाया प्रतियां रखना निषेध होगा। कार्यालय के अभिलेखो की गोपनीयता बनाई रखनी होगी।
5. उक्त कार्य हेतु आपके कार्मिक नियमित रूप से कार्यालय में उपस्थित रहकर कार्य करेंगे तथा संबधित आवश्यक रिकार्ड तैयार कर विभिन्न कार्यालयों में प्रस्तुत करने हेतु लाइजनिंग का कार्य करेंगे।
6. कार्य के निष्पादन हेतु कक्ष, स्टेशनरी, कम्प्यूटर इत्यादि प्राधिकरण द्वारा उपलब्ध कराये जायेंगे जिसका कोई शुल्क नही लिया जायेगा।
7. भुगतान योग्य शुल्क मे से नियमानुसार करो की कटौति प्रभावी की जायेगी।
8. Letter Of Acceptance के जारी होने के 15 दिवस के भीतर रू. 500/- के नॉन ज्युडिशल स्टाम्प पर अनुबंध निष्पादित करना होगा।
9. आपके द्वारा संपादित कार्य में त्रुटी के कारण प्राधिकरण को कोई शास्ति रोपित होती है तो उसके आप जिम्मेदार होगें।
10. मूल दरो के आधार पर देय भुगतानो पर वस्तु एवं सेवाकर एवं NSDL अपलोडिंग शुल्क अतिरिक्त दिया जायेगा
11. देय भुगतान वितीय वर्ष 2019-20 के संव्यवहारो पर लागु होगा।
12. आइटम सं 11 में स्वीकृत भुगतान वास्तविक निष्पादित कार्य के आधार पर किया जायेगा जिसके लिए performance report प्रस्तुत करनी होगी। इसके लिए नियत कार्य में बकाया डिमांड के समाधान तथा समरूप अन्य सगंत कार्यों (कर सलाहकार) का शुल्क भी सम्मिलित होगा।
13. उपर निर्धारित कार्यों के अतिरिक्त प्राधिकरण की कर देयताओ (जी.एस.टी) सहित के संबंध में अपने सुझाव एवं उनके निपटारे के लिए कार्य प्रणाली के सुधार के प्रस्ताव भी यथा आवश्यकता लिखित में रिपोर्ट काने का कार्य भी अनुबंध में निहित माने जायेगें।
14. मासिक, त्रैमासिक एवं वार्षिक रिटर्न से संबंधित प्रति मय प्राप्ति रसीद के इस कार्यालय मे बिल के साथ प्रस्तुत करनी होगी।
15. जीएसटी एवं आयकर के ऐसे प्रकरण जिनमें विभाग द्वारा वसूली निर्धारित की गई है उनका निस्तारण करना भी सम्मलित होगा जिनका पृथक से कोई शुल्क देय नही होगा।

18/7/19

निदेशक वित्त
जोधपुर विकास प्राधिकरण
जोधपुर।